सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 10, मंगलवार, शाके 1938–मई 31, 2016 *Jyaistha 10, Tuesday, Saka 1938–May 31, 2016*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

MINES (GR.II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 31, 2016

G.S.R.16 .-In exercise of powers conferred by section 9B, sub-section (4) of section 15 and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1)These rules may be called The District Mineral Foundation Trust Rules, 2016.
(2) They shall extent to whole of the State of Rajasthan and shall apply to all minerals.
(3) They shall be deemed to have come into force on the 12th day of January, 2015.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No 67 of 1957);

(ii) "Auditors" means the auditor/chartered accountant appointed by the trust and include the Accountant General of the State;

(iii) "Beneficiaries" mean the areas and persons affected by mining related operations undertaken in the area and includes the eligible patients and their legal heirs for ex-gratia payments under provisions of Rajasthan

Environment and Health Administrative Board(REHAB);

(iv) "Contribution" means the contribution to be collected from the holder of major or minor mineral concession in the district as may be prescribed by the Central or State Government, as the case may be;

(v) "District Magistrate" means the District Magistrate of the District ;

(vi) "Governing Council" means the council consisting of all the trustees of the District Mineral Foundation Trust;

(vii) "Government" means Government of Rajasthan;

(viii) "Trust" means the District Mineral Foundation Trust established by the State Government under sub-section (1) of section 9B;

(ix) "Year" means a financial year commencing from April 1st and ending March 31st of the following year or part period thereof ending on March 31st; and

(x) 'Zila Parishad' means the Zila Parishad constituted under the Rajasthan Panchayti Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

3. Name of the Trust.-The trust shall be known as the (name of the district) District Mineral Foundation Trust and its office shall be located in the office of the Zila Parishad of the district concern.

4. Objects of the Trust.-The objects of the District Mineral Foundation Trust shall be to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations in the district in the manner as specified in these rules.

5. Appointment and Declaration.- (1) The District Mineral Foundation Trust constituted for each district of the State,

under section 9B of the Act, shall consist of the following trustees namely :-

S. No.	Name	Designation of the Trustees in the Governing Council of Trust
(i)	Zila Pramukh	Chairperson (Trustee)
(ii)	District Magistrate	Vice-Chairperson(Trustee)
(iii)	All Member of Legislative Assembly in the district	Trustee
(iv)	Mining Engineer / Assistant Mining Engineer posted at district headquarter or in the district and in case more than one Mining Engineer is posted at district headquarter, Mining Engineer-I. Other Mining Engineer / Assistant Mining Engineer posted at district headquarter or in the district as head of the office shall also be member.	Member Secretary (Trustee)
(v)	Deputy Conservator of Forest	Member(Trustee)
(vi)	Treasury Officer	Member(Trustee)
(vii)	Executive Engineer (PWD)	Member(Trustee)
(viii)	Medical Officer nominated by the Chief Medical & Health Officer of the district	Member (Trustee)
(ix)	Representative of Rajasthan State Pollution Control Board	Member (Trustee)
(x)	District Social Welfare Officer	Member(Trustee)
(xi)	President of mine owners associations upto five working in the district, nominated by the Government	Nominated Trustee
(xii)	Communities representatives from areas affected by mining operations upto five, nominated by the Government	Nominated Trustee
(xiii)	Representative of mine workers upto two, nominated by the Government	Nominated Trustee
(xiv)	NGO working in mining field nominated by the Government	Nominated Trustee
(xv)	Technical mining person working in the district nominated by the Government	Nominated Trustee
(xvi)	Any other officer / person nominated by the Government	Nominated Trustee

(2) The nominated trustees of the trust shall be nominated by the State Government.

(3) The trustees appointed by official designation shall continue as trustees during the period which they are holding the post and would be deemed to have ceased to be the trustees once they cease to hold the office by virtue of which they were so appointed and their successors in office shall be deemed to have been appointed as trustees in their place with effect from the date of their acquiring such post.

(4) The term of appointment for the nominated trustees shall be for three years with effect from the date of their nomination as trustees and the Government may thereafter renew their appointment for another term or may nominate other persons in their place:

Provided that the term of such nominated trustees shall in no case exceed three terms of three years each:

Provided further that the nominated trustees shall be appointed by the State Government on the basis of recommendation of the District Magistrate:

Provided also that community representative from areas affected by mining operations shall be recommended by the District Magistrate on the basis of recommendation of the respective Gram Sabha.

(5) The Government may at any time increase the number of trustees in any of the categories and for such term as it may deem fit.

(6) The Government may at any time remove any of the trustees and may appoint any other person as the nominated trustee at its sole discretion. The trustee so removed by the Government shall cease to be a trustee with effect from the date of such removal.

(7) The trustees shall have the possession of the trust fund which is subjected to the powers and provisions herein declared and contained concerning the same and the trustees shall have the power at any time or times during the tenure as trustee to accept any property from any person or persons by the provisions of any other trust or otherwise to the intent that the same shall be held by or on behalf of the trustees as an accretion to the trust fund.

6. Management of the Trust. - The management of the trust shall vest in a Governing Council, which shall consist of all trustees including nominated trustees of the trust. However, the day to day management of the trust shall be managed by a

Managing Committee, as specified in rule 10. The Government may however decide to alter the composition of the Managing Committee at any time. The powers and functions of the Governing Council and of the Managing Committee shall be as contained in these rules.

7. Decisions by the Trustees. - (1) All decisions by the trustees shall be taken in the meeting of the Governing Council and every meeting of the Governing Council shall be deemed to be a meeting of the trust.

(2) All decisions of the Governing Council shall be taken by the majority of the members present and if required by voting. In case of tie the Chairperson of the meeting shall have a casting vote.

(3) Trustees, Governing Council and the Managing Committee shall act in accordance with the directions, guidelines etc. issued by the Government from time to time.

8. Powers and Functions of the Governing Council.-The Governing Council shall,-

(i) laying down the broad policy framework for the functioning of the trust and review its working from time to time;

(ii) drawing up and approving of annual action plan and the annual budget for the trust. The annual action plan must be prepared and approved by the Governing Council at least one month before commencement of the year. The annual action plan shall contain the list of schemes and projects with the tentative provisions thereof:

Provided that if for any reason whatsoever, the Governing Council does not prepare and accord approval to the annual plan and the budget within the specified time, the Chairperson shall get prepared the annual action plan and the budget of the trust and approve the same. The budget so prepared shall be deemed to have been duly prepared and approved by the Governing Council:

Provided also that while preparing the annual plan for the next financial year, the sum total of the past commitment and liabilities spilling over shall be assessed. To maintain financial discipline

and timely completion of project, the sum total of the past liabilities and commitments and the new schemes being proposed should not in any case exceed three times the expected inflows for the next financial year.

(iii)approving such other expenditure, in furtherance of the objects of the trust from the available trust fund in such manner as may be specified by the Government.

(iv)approving the recommendations of the Managing Committee. approving the annual reports and audited accounts of the trust within sixty days of the close of the previous year.

(v) Approving the annual reports and audited accounts of the trust within sixty days of the close of the previous year.

(vi)distributing monetary benefits to persons or families affected by mining related operations in the district.

9. Meetings of the Governing Council.- (1) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every quarter.

(2) The meeting of the Governing Council shall be convened as desired by the Chairperson.

(3) The quorum for such meeting shall be one third of the total membership.

10. Managing Committee.- The affairs of the trust shall be managed by a Managing Committee consisting of,-

S. No.	Name	Designation in the Managing Committee
1	2	3
(i)	District Magistrate	Chairperson
(ii)	Mining Engineer / Assistant Mining Engineer posted at district headquarter or in the district and in case more than one Mining Engineer is posted at district headquarter, Mining Engineer-I. Other Mining Engineer / Assistant Mining Engineer posted at district headquarter or in the district as head of the office shall also be member.	Member Secretary

1	2	3
(iii)	Deputy Conservator of Forest	Member
(iv)	Treasury Officer	Member
(v)	Executive Engineer of Public Works Department	Member
(vi)	Medical Officer nominated by the Chief Medical &Health Officer	Member
(vii)	Representative of Rajasthan State Pollution Control Board	Member
(viii)	District Social Welfare Officer	Member
(ix)	Account personnel posted in Mining Engineer/ Assistant Mining Engineer office nominated by the Government	Member
(x)	Any other officer / person nominated by the Government	Member

11. Meetings of Managing Committee.- The Meeting of the Managing Committee shall be held at least once in two months and it shall be convened as decided by the Chairperson of the Managing Committee.

12. Powers and Functions of the Managing Committee.- The Managing Committee shall ,-

(i) exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the trust;

(ii) ensure timely collection of contribution fund from the concerned mineral concession holders , in accordance with the provisions of the Act and rules;

(iii) prepare the master plan / vision document for the activities of the trust;

(iv) assist in the preparation of the annual plan and the annual budget of the trust along with the proposed schemes and projects;

(v) supervise and ensure the execution of the annual plan and the approved schemes and projects;

(vi) accord sanction to the projects, release and disburse the trust fund for the purpose.

(vii) operate the trust fund in a diligent manner and to open one bank account in the name of the trust and operate such account;

(viii) monitor the progress of the utilization of trust funds;

(ix) place the audited accounts along with an annual report before the Governing Council for its approval within sixty days of closure of financial year;

(x) do all other things which are necessary for smooth functioning and management of the trust; and

(xi) lay down the procedure for the functioning of the trust:

Provided that prior to implementation of such procedure, same has to be approved by the State Government.

13. Trust Fund.- (1) The trust fund of the District Mineral Foundation Trust shall include the following namely:-

(i) the Initial settlement of Rs.1,000/-(Rupees one thousand only) made by the Government;

(ii) any grant, contribution or other moneys received from the Government or from any other agency, institution or person;

(iii) every mineral concession holder shall pay the contribution fund in respect of any mineral removed by him from and / or consumed within the area allotted / permitted to him as follows:-

(a) in case of major minerals, as prescribed in the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015, as amended from time to time; and

(b) in case of minor minerals, ten per cent of the royalty (with any fraction rounded off to higher integer) paid in terms of the first schedule to the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986, as amended from time to time;

(iv) interest accrued on deposits and any other income derived there from; and

(v) all other properties of the trust and the income derived there from or appreciation thereof.

(2) The payment towards trust fund shall be collected in advance along with royalty under a separate sub-head through e-payment and deposited in the account of trust and if any difference amount is accrued at the time of assessment of royalty, same shall be deposited in the account of trust immediately.

(3) In case of minor minerals, contribution to the trust fund shall be recovered through contractor of Excess Royalty Collection Contract / Royalty Collection Contract awarded in the district, in such case, monthly installment of the contribution of trust fund shall be directly deposited in the account of the trust.

(4) Where a mining lease falls in more than one district, the contribution towards District Mineral Foundation Trust shall be deposited in the account which is operated by the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer in whose office the assessment of royalty is made. However the total amount so received shall be proportionally allocated on the basis of area falling in each district.

(5) The Mining Engineer/Assistant Mining Engineer, concerned shall be responsible for collection, reconciliation and cross verification of contribution to the District Mineral Foundation Trust Fund and shall deposit the same in trust account opened in any scheduled bank as decided by the trust. They shall send periodic information to Financial Advisor, Nodal Officer for proper maintenance of accounting receipts and disbursement.

14. Operation of the Trust Fund.-The trust fund shall be kept in scheduled commercial nationalized bank only in the name of the trust and account shall be operated under the joint signatures of the Chairperson and Treasury Officer or any member of the managing committee to whom managing committee authorize. The Managing Committee shall maintain the books of accounts of such fund.

15. Scope of District Mineral Foundation Trust.- (1)The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) and other welfare schemes of the State and Central Government shall be implemented by the District Mineral Foundations Trust of the respective districts using the funds accruing to the trust. The overall objective of PMKKKY and other welfare schemes of the State and Central Government will be.-

(a) to implement various developmental and welfare projects/programs in mining affected areas, and these projects/ programs will be complementing the existing ongoing schemes/projects of State and Central Government;

(b) to minimize/mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts; and

(c) to ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

(2) Affected areas and people to be covered under the PMKKKY and other welfare schemes of the State and Central Government shall be as under:

(I) Affected areas:

(A) Directly affected areas - Where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), etc. are located.

(a) villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district on even state.

(b) an area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district.

(c) villages in which families displaced by mines have resettled/rehabilitated by the project authorities.

(d) villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.

(B) Indirectly affected areas - Those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations.

The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

(C) The trust shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

(II) Affected people:

(A) The following should include as directly affected persons:

(a) 'Affected family' as defined under clause (c) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(b) 'Displaced family' as defined under clause (k) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(c) Any other as appropriately identified by the Gram Sabha concerned.

(B) Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with usufruct and traditional rights.

(C) Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of gram sabha.

(D) The trust shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/ local communities, including the eligible patients and their legal heirs under the provisions of the Rajasthan Environment and Health Administrative Board.

(3) Utilisation of Fund.-

(i) The trust shall cover the activities listed below:-

(A) High priority areas – at least sixty percentage of the fund to be utilized under these heads:

(a) Drinking water supply – centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(b) Environment preservation and pollution control measures – effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling noise, air and dust pollution caused by mining operations, and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines, and restoration, reclamation and rehabilitation of mined area, and other air, water and surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.

(c) Health care – the focus must be on creation of primary / secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment

and supplies required for making such facilities effective.-

(i) To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases.

(ii) Funds may be utilized for welfare, improvement and protection of health conditions of local mine workers affected by mining operation related health hazards, ex-gratia payment to the eligible patients / their legal heirs under the provisions of Rajasthan Environment and Health Administrative Board, regular health check-up camps and occupational health surveillance program. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons:

Provided that projects and activities mentioned in above clause (a) (b) and (c) shall preferably be carried out either on built operate and transfer basis

or on single point contractual services. No temporary or permanent post shall be created for this purpose.

(d) Education – Construction of school buildings, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, Drinking water provisions, Residential Hostels for students/teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.

(e) Welfare of Women and Children – Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the schemes.

(f) Welfare of aged and disabled people – Special program for welfare of aged and disabled people.

(g) Skill development – Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects / schemes may include training, development of skill development center, Self-employment schemes, support to Self Help Groups

and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.

(h) Sanitation – Collection, Transportation and Disposal of Waste, Cleaning of public places, provision of proper Drainage and Sewage Treatment Plant, provision for Disposal of Fecal Sludge, provision of Toilets and other related activities.

(B) Other priority Areas – Upto Fourty percentage of the fund to be utilized under these heads:

(a) Physical infrastructure – providing required physical infrastructure – road, bridges, railways and waterways projects.

(b) Irrigation – developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.

(c) Energy and Watershed Development – Development of alternate sources of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of plantation, orchard, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.

(d) Any other measures for enhancing environmental quality in mining district.

(II) General guidelines:

(A) The developmental and welfare activities to be taken up by Trust under the schemes should be, as far as possible, in the nature of

complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State as well Central Government. Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up by Trust under any schemes. However, without prejudice to the powers of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State Plan.

(B) An amount not exceeding five percent of the annual receipts of the Foundation subject to an upper limit fixed by the State Government may be utilized for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary / permanent posts should be created under trust. Any creation of temporary / permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.

(C) If the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district, such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the

by the trust after obtaining prior approval of the State Government. Projects for development of common infrastructure like construction of roads, bridges etc. in excess of the limits (one crore and above) to the priority for fund utilization, on a case to case basis, may also be taken up for projects of importance to the district. The prior approval of the State Government need to be taken, with intimation to the Central Government, before taking up such works in excess of the limits of funds utilization. Following State Level Empowered Committee shall take decisions regarding the above mentioned purpose:-

(a) Chief Secretary
(b) Principal Secretary, Mines & Petroleum
(c) Secretary, Forest
(d) Secretary, PWD
(e) Secretary, Social Justice & Welfare
(f) Secretary, Medical & Health
(g) Director, Mines & Geology
(h) Financial Advisor, DMG
(i) Additional Director (E&D), DMG.

(D) The meetings of the committee shall be held once in a six month. For day to day work, following Committee shall be competent to take decisions:-

(a) Principal Secretary, Mines & Petroleum
(b) Joint Secretary, Mines
(c) Director, Mines & Geology
(d) Financial Advisor, DMG
(f) Additional Director (E&D), DMG
(g) Representative of the concern line department.

The decisions of the above committee shall be get ratified by the State Level Empowered Committee in their next meeting.

(E) A reasonable sum of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood.

(4) Special provisions for scheduled areas:

The process to be adopted for utilization of fund in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas:

(i) Approval of the Gram Sabha shall be required,-

(a) for all plans, programs and projects to be taken up under PMKKKY and other welfare schemes of the State and Central Government.

(b) identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

(ii) Report on the works undertaken under the trust in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

Explanation: Gram Sabha shall have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (Central Act 40 of 1996)

(5) Implementation of works / Contracts:

(i) Works/ goods may be procured by the trust after following the due procedure

prescribed by the State Government for such procurements. The procurement of goods and services shall be as per the provisions of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and rules made there under. The execution of work shall be as per the provisions of accounting rules of respective executive agencies or any special rules made by the Government in this behalf.

(ii) Transfer of funds to all agencies and beneficiaries shall be into their bank accounts by any electronic payment mechanism.

(6) Compliance of Transparency:

Each trust shall prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information will be hosted and kept updated, namely:-

(a) Details of composition of the trust/bodies of the trust (if any).

(b) List of areas and people affected by mining.

(c) Quarterly details of all contributions received from lessees and others.

(d) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the trust.

(e) Annual Plans and budget, work orders, Annual Report.

(f) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken by the trust should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and

physical progress up to last quarter etc.

(g) List of beneficiaries under various welfare programs.

(h) Voluntary disclosures under the Right to Information Act, 2005.

16. Agencies to be engaged by the Trust for execution of the proposal.- (1) The District Mineral Foundation Trust may engage any agency of the Government and assign any specific proposal/project to be carried out through such agency.

(2) The trust may also empanel qualified agencies e.g. Non-Government Organisation who are working in the field. However, as far as possible, priority shall be given to agency of the Government working in the same field.

17. Charging of Expenses.-The trustees shall be entitled to charge the trust fund with the following expenses, namely:-

(a) all expenses properly incurred in the operation or execution of the trust and for the realization, preservation or benefit of the investments and assets comprising the trust fund and for the protection of the interests of the trust.

(b) all expenses(including expenses incidental to execution and/or registration of any agreement or other deeds) incurred by the trustees for obtaining the contributions and or any other resources; which may accrue.

(c) all expenses in connection with any legal proceedings by or against the trustee concerning the affairs of the trust including professional fees and costs of any legal advisor.

(d) all legal and statutory expenses incurred in the operation or execution of the trust including all levies, duties and other charges paid/ payable in connection with the affairs of the trust.

(e) all expenses in connection with the holding of its meetings and other proceedings as per the norms of the State Government.

18. Accounts and Audit.- (1)The Managing Committee shall maintain and /or cause to be maintained proper books of accounts, documents and records with respect to the trust fund to

give a true and fair picture of the affairs of the trust. Books of accounts shall be maintained as per provisions of General Finance & Accounting Rules (GF & AR) or any special rules made by the Government in this behalf. The accounts of the trust shall be audited at least on completion of year by a qualified auditor. The auditors of the trust shall be appointed by the trustees from the list of approved auditors notified by the Accountant General of the State in the meeting of the Governing Council, on such terms and conditions as decided by the trustee. The auditors may be removed and replaced by the trustees with the consultation of the Accountant General of Rajasthan.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may appoint an auditor or auditors or may request the Accountant General for audit of a particular year or period on such terms as the Government may so decide.

(3) The trust shall forward the approved budget and annual plan alongwith schemes and projects for the next financial year to the Zila Parishad, District Administration and the State Government for publication on their respective websites.

(4) The trust shall prepare a quarterly progress report in physical and financial terms in respect of the approved schemes and projects within fourty five days of the close of the quarter and forward it to the Zila Parishad and District Administration, immediately thereafter for publication on their respective websites.

(5) The trust shall forward the approved annual report and the approved audit report immediately after their approval by the Governing Council within sixty days of closure of financial year to the Zila Parishad, District Administration and to the State Government along with audit report for publication on their respective websites.

(6) The Annual Report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly.

19. Administrative Arrangements .- (1) The Government shall provide services of the personnel working in the office of the concern Mining Engineer/Assistant Mining Engineer for management of the trust and for execution of the annual plan as may be required for the purpose.

(2) The trust may request the Government to provide required number of core personnel from its departments or from regular employees of such other cadre, for providing administrative and

technical assistance to the trust. Services of such personnel shall continue to remain in their own respective cadres. The trust may bear expenditure up to three percentage of its accrued funds for this purpose.

(3) The trust may also ask services providers to provide such services as may be needed for smooth functioning of the trust and may provide for incurring contingent expenditure for its functioning.

20. Liability of Trustees. - (1) The trustees shall not be liable on account of anything done in good faith, bonafide with due diligence. The trustees shall also not be liable or responsible for any banker, broker, custodian or other person in whose hands the same may, in good faith, be deposited or placed nor for the deficiency or insufficiency in the value of any investments of the trust fund nor otherwise for any involuntary loss.

(2) The trustees and every attorney or, agent appointed by the trustees shall be entitled to be indemnified out of the trust fund in respect of all liabilities, losses and expenses incurred in execution of the trust or any of the powers, authorities, and discretion vested in or delegated to them other than those arising out of gross negligence and/or willful misconduct, provided however, that, such indemnity shall not in any event exceed the total of the contributions.

21. Remuneration.- The trustees shall not be entitled to any remuneration for their services.

[No. F. 14(6) Mines/Gr.II/2015]
By the Order of the Governor,
Kanhaiya Lal Swami,
Joint Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 22 मई, 2017

संख्या एफ.14(6)खान/ग्रुप–2/2015 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.14(6)खान/ग्रुप–2/2015 दिनांक 31.05.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(इकबाल)

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, 31 मई, 2016

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप–धारा (4) और धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और ये समस्त खनिजों पर लागू होगें।

(3) ये 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं .– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) अभिप्रेत है ;

(ii) "संपरीक्षक" से न्यास द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक/चार्टड अकाउंटेंट अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य का महालेखाकार सम्मिलित है ;

(iii) "हिताधिकारी" से क्षेत्र में जिम्मे ली गयी खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र और व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसमे राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासन बोर्ड (रा.प.स्वा.प्र.बो.) के उपबंधों के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदायों के लिए पात्र मरीज और उनके विधिक वारिस सम्मिलित हैं;

(iv) "अंशदान" से जिले में प्रधान या अप्रधान खनिज रियायतधारक से संगृहीत किये जाने वाला ऐसा अंशदान अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(v) "जिला मजिस्ट्रेट" से जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(vi) "शासी परिषद्" से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के समस्त न्यासियों से मिलकर बनने वाली परिषद् अभिप्रेत है ;

(vii) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(viii) "न्यास" से अधिनियम धारा 9ख की उप–धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अभिप्रेत है ;

(ix) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और आगामी वर्ष के 31 मार्च को ~~समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष या 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि~~ का भाग अभिप्रेत है; और

(x) "जिला परिषद्" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित जिला परिषद् अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन समनुदेशित किया गया है।

3. न्यास का नाम .– न्यास, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास(जिले का नाम) के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय संबंधित जिले के जिला परिषद् के कार्यालय में अवस्थित होगा।

4. न्यास के उद्देश्य .– जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का उद्देश्य, जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में कार्य करना होगा।

5. नियुक्ति और घोषणा .– (1) अधिनियम की धारा 9ख के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले के लिए गठित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, निम्नलिखित न्यासियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

क्र. सं.	नाम	न्यास के शासी परिषद् में न्यासियों के पदनाम
(i)	जिला प्रमुख	अध्यक्ष (न्यासी)
(ii)	जिला मजिस्ट्रेट	उपाध्यक्ष (न्यासी)
(iii)	जिले में विधान सभा के समस्त सदस्य	न्यासी
(iv)	जिला मुख्यालय पर या जिले में पदस्थापित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता और जिला मुख्यालय में एक से अधिक खनि अभियन्ता के पदस्थापित होने की दशा में खनि अभियन्ता–I । जिला मुख्यालय पर या जिले में कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थापित अन्य खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता भी सदस्य होगा।	सदस्य सचिव
(v)	उप वन संरक्षक	सदस्य (न्यासी)
(vi)	कोषाधिकारी	सदस्य (न्यासी)
(vii)	कार्यपालक अभियन्ता (सा.नि.वि.)	सदस्य (न्यासी)
(viii)	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी	सदस्य (न्यासी)

(ix)	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का प्रतिनिधि	सदस्य (न्यासी)
(x)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
(xi)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिले में कार्य कर रहे खान स्वामियों के संगमों के अध्यक्ष, पाँच तक।	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xii)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि, पाँच तक।	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xiii)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन कर्मकारों के प्रतिनिधि, दो तक	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xiv)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xv)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिले में कार्य कर रहे तकनीकी खनन व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट न्यासी
(xvi)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट न्यासी

(2) न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगें।

(3) शासकीय पदनाम से नियुक्त किये गये न्यासी उस कालावधि जिसके दौरान वे पद धारित कर रहे हैं, न्यासी के रूप में बने रहेंगे और उन्हें न्यासी के रूप में अस्तित्व में नहीं समझा जायेगा, यदि वे एक बार उस पद को धारण करने से प्रवरित हो जाते हैं जिसके आधार पर वे इस प्रकार नियुक्त किये गये थे और पद में उनके उत्तरवर्ती द्वारा ऐसा पद अर्जित करने की तारीख से उनके स्थान पर न्यासी के रूप में नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

(4) नामनिर्दिष्ट न्यासियों के लिए नियुक्ति की अवधि, न्यासियों के रूप में उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी और सरकार इसके पश्चात् ,उनकी नियुक्ति किसी अन्य अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकेगी या उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यासियों की अवधि किसी भी दशा में प्रत्येक तीन वर्ष की तीन अवधियों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि नामनिर्दिष्ट न्यासी जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह भी कि खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय के प्रतिनिधि की संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश की जायेगी।

(5) सरकार किसी भी समय, किसी भी प्रवर्ग में और ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे न्यासियों की संख्या बढ़ा सकेगी।

(6) सरकार किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगी और स्वविवेक से नामनिर्दिष्ट न्यासी के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। सरकार द्वारा इस प्रकार हटाया गया न्यासी ऐसे निष्कासन की तारीख से न्यासी नहीं रहेगा।

(7) न्यासियों का न्यास निधि पर कब्जा होगा, जो उससे संबंधित इसमें घोषित और अन्तर्विष्ट शक्तियों और उपबन्धों के अध्यधीन होगा और न्यासियों को न्यासी के रूप में अवधि के दौरान, किसी भी समय या समयों पर अन्य किसी न्यास के उपबन्धों द्वारा या अन्यथा इस आशय से कि उसे न्यासियों द्वारा या उनकी ओर से न्यास निधि को अभिवृद्धि के रूप में धारित किया जायेगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, कोई सम्पत्ति स्वीकार करने की शक्ति होगी।

6. न्यास का प्रबंध.– न्यास का प्रबंध शासी परिषद् में निहित होगा, जो न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासियों को सम्मिलित करते हुए समस्त न्यासियों से मिलकर बनेगी। तथापि, ~~न्यास का दिन–प्रतिदिन का प्रबंध, नियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट प्रबंध समिति द्वारा~~ संचालित किया जायेगा। तथापि, सरकार किसी भी समय प्रबंध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय ले सकेगी। शासी परिषद् और प्रबंध समिति की शक्तियां और कृत्य वे होंगें जो इन नियमों में अन्तर्विष्ट हैं।

7. न्यासियों द्वारा विनिश्चय – (1) न्यासियों के समस्त विनिश्चय शासी परिषद् की बैठक में लिये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा और यदि अपेक्षित हो तो मतदान द्वारा लिये जायेंगे। बराबर रहने की दशा में, बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(3) न्यासी, शासी परिषद् और प्रबंध समिति, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों इत्यादि के अनुसार कार्य करेंगे।

8. **शासी परिषद् के कृत्य और शक्तियां .**– शासी परिषद्,–

(i) न्यास के कृत्यकरण के लिए वृहद नीतिगत ढाँचा अधिकथित करेगी और समय–समय पर अपने कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ;

(ii) न्यास के लिए वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट बनायेगी और इनका अनुमोदन करेगी। वार्षिक कार्य योजना वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व शासी परिषद् द्वारा तैयार और अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में योजनाओं और परियोजनाओं की उनके अस्थाई उपबंधों सहित सूची अन्तर्विष्ट होगी :

परन्तु यदि किसी भी कारणवश, शासी परिषद् विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक योजना और बजट तैयार नहीं करती है और उसका अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यक्ष न्यास की वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करवायेगा और उसका अनुमोदन करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया बजट, शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से तैयार और अनुमोदित किया गया समझा जायेगा:

परन्तु यह भी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय, पूर्व दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के योगफल का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए और परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए, पूर्व दायित्वों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की गयी नयी योजनाओं का योगफल किसी भी दशा में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित अंतर्वाह तीन गुणा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) उपलब्ध न्यास निधि से, न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य व्ययों का ऐसी रीति में, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अनुमोदन करेगी।

(iv) प्रबंध समिति की सिफारिशें अनुमोदित करेगी। पूर्व वर्ष की समप्ति के 60 दिवस के भीतर न्यास की वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षित लेखों को, अनुमोदित करेगी।

(v) न्यास की वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षित लेखों को, पूर्व वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर अनुमोदित करेगी।

(vi) जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को मौद्रिक फायदे वितरित करेगी।

9. **शासी परिषद् की बैठक.**– (1) शासी परिषद् की बैठक जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(2) शासी परिषद् की बैठक अध्यक्ष की वांछा पर बुलायी जायेगी।

(3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

10. **प्रबंध समिति .**– न्यास के कार्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित किये जायेंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, –

क्र.सं.	नाम	प्रबंध समिति में पदनाम
1	2	3
(i)	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(ii)	जिला मुख्यालय पर या जिले में पदस्थापित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता और जिला मुख्यालय में एक से अधिक खनि अभियन्ता के पदस्थापित होने की दशा में खनि अभियन्ता–I । जिला मुख्यालय पर या जिले में कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थापित अन्य खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता भी सदस्य होगा।	सदस्य सचिव
(iii)	उप वन संरक्षक	सदस्य

(iv) कोषाधिकारी — सदस्य

(v) लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियन्ता — सदस्य

(vi) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी — सदस्य

(vii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के प्रतिनिधि — सदस्य

(viii) जिला समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य

(ix) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में पदस्थापित लेखा कार्मिक — सदस्य

(x) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति — सदस्य

11. प्रबंध समिति की बैठकें .– प्रबंध समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी और यह प्रबंध समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार बुलायी जायेगी।

12. प्रबंध समिति के कृत्य और शक्तियां .– प्रबंध समिति, –

(i) न्यास के हितों के संरक्षण के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी ;

(ii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार संबंधित खनिज रियायतधारकों से अंशदान निधि का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेगी;

(iii) न्यास के क्रियाकलापों के लिए मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करेगी ;

(iv) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करेगी ;

(v) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगी और उसे सुनिश्चित करेगी ;

(vi) परियोजनाओं को मंजूरी देगी और उस प्रयोजन के लिए न्यास निधि को निर्मुक्त और संवितरित करेगी ;

(vii) न्यास निधि को सावधानीपूर्वक रीति में संचालित करेगी और न्यास के नाम एक बैंक खाता खोलेगी और ऐसे खाते को संचालित करेगी ;

(viii) न्यास निधियों के उपयोग की प्रगति को निगरानी करेगी ;

(ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ दिवस के भीतर, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे इसके अनुमोदन के लिए शासी परिषद् के समक्ष रखेगी ;

(x) ऐसे समस्त कार्य करेगी जो न्यास के निर्बाध कार्यकरण और प्रबंध के लिए आवश्यक हों ; और

(xi) न्यास के कार्यकरण के लिए प्रकिया अधिकथित करेगी :

परन्तु ऐसी प्रक्रिया के कियान्वयन से पूर्व, उसे राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया जायेगा।

13.न्यास निधि.– (1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास की न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(i) सरकार द्वारा किया गया 1,000/– रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का प्रारम्भिक परिनिर्धारण ;

(ii) सरकार से या किसी अन्य अभिकरण, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अंशदान या अन्य धन ;

(iii) प्रत्येक खनिज रियायतधारक, उसे आवंटित/अनुज्ञात क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये और/या उसके भीतर, उसके द्वारा उपभुक्त किसी खनिज के संबंध में, निम्नलिखित प्रकार से अंशदान निधि का भुगतान करेगा :–

(क) प्रधान खनिजों की दशा में, खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान को अंशदान) नियम, 2015, समय–समय पर यथा संशोधित, में जैसा विहित हो ; और

(ख) अप्रधान खनिजों की दशा में, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 समय–समय पर यथा संशोधित, की प्रथम अनुसूची के निबंधनों में संदत्त रॉयल्टी (उच्च पूर्णांक के किसी पूर्णांकित अंश सहित) का दस प्रतिशत ;

(iv) निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज और उससे व्युत्पन्न कोई अन्य आय ; और

(v) न्यास की अन्य समस्त सम्पत्तियां और उससे व्युत्पन्न अन्य आय या उसकी मूल्य वृद्धि।

(2) न्यास निधि में संदाय, ई–संदाय के माध्यम से, एक पृथक उप–शीर्ष के अधीन अधिशुल्क के साथ अग्रिम रूप से संगृहीत किये जायेंगे और न्यास के खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे और यदि अधिशुल्क के निर्धारण के समय पर रकम का कोई अंतर प्रोद्भूत होता है तो उसे न्यास के खाते में तुरन्त निक्षिप्त कर दिया जायेगा।

(3) अप्रधान खनिजों की दशा में, न्यास निधि के लिए अंशदान जिले में प्रदान किये गये अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा/रॉयल्टी संग्रहण संविदा के ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जायेगा। ऐसे मामले में, न्यास निधि के अंशदान की मासिक किस्त न्यास के खाते में सीधे ही निक्षिप्त की जायेगी।

(4) जहां कोई खनन पट्टा एक से अधिक जिले में आता है, वहां जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के प्रति अंशदान उस खाते में निक्षिप्त किया जायेगा, जो ऐसे खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके कार्यालय में रॉयल्टी का निर्धारण किया जाता है। तथापि, इस प्रकार प्राप्त की गयी कुल रकम प्रत्येक जिले में आने वाले क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक रूप से आवंटित कर दी जायेगी।

(5) संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि के अंशदान के संग्रहण, समाधान और प्रति सत्यापन के लिए उत्तरदायी होंगें और इसे न्यास द्वारा विनिश्चित किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में निक्षिप्त किया जायेगा। वे, लेखा प्राप्तियों और संवितरण के समुचित रख–रखाव के लिए वित्तीय सलाहकार, नोडल अधिकारी को नियतकालिक सूचना भेजेंगे।

14. न्यास निधि का संचालन .– न्यास निधि केवल अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से रखी जायेगी और खाता अध्यक्ष और कोषाधिकारी या प्रबंध समिति के किसी सदस्य, जिसे प्रबंध समिति प्राधिकृत करे, के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन संचालित होगा। प्रबंध समिति ऐसी निधि की लेखा बहियों का रख–रखाव करेगी।

15. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का विस्तार .– (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (प्र.मं.ख.क्षे.क.यो.) और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं, संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास द्वारा न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करते हुए क्रियान्वित की जायेंगी। प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य और केन्द्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समग्र उद्देश्य होंगे, –

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, और ये परियोजनाएं/कार्यक्रम, राज्य और केन्द्रीय सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं की पूरक होंगी ;

(ख) खनन जिलों में पर्यावरण, व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक ढांचे पर, खनन के दौरान और उसके पश्चात् होने वाले प्रतिकूल प्रभावों में कमी करना/उनका शमन करना ; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ जीविका सुनिश्चित करना।

(2) प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य और केन्द्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति निम्नलिखितानुसार होंगे:

(I) प्रभावित क्षेत्र :

(क) प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र– जहां प्रत्यक्ष खनन संबंधी संक्रियाएं जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोट करना, सज्जीकरण और अपशिष्ट व्ययन (अत्यधिक भरा हुआ कचरे का मैदान, अपशिष्ट युक्त तालाब, परिवहन कारिडोर इत्यादि) इत्यादि अवस्थित हों।

(i) ग्राम और ग्राम पंचायतें जिनके भीतर, खानें अवस्थित और क्रियाशील हों। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, खण्ड या जिले या राज्य में भी विस्तारित किये जा सकेंगे।

(ii) किसी खान या खानों के समूह के ऐसे अर्धव्यास के भीतर का कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा इस बात को विचार में लाये बिना कि यह संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले में आता है या नहीं, विनिर्दिष्ट किया जाये।

(iii) ग्राम, जिनमें खानों द्वारा विस्थापित किये गये परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा, फिर से बसाया गया है/पुनर्वासित किया गया है।

(iv) ऐसे ग्राम, जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर प्रमुखता से निर्भर हैं और जो

परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार रखते हैं, उदाहरण के लिए, चराई के लिए, गौण वन उपजों के संग्रह के लिए इत्यादि, प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।

(ख) अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र – वे क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन संबंधी संक्रियाओं के चलते आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। खनन के मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता में क्षय, झरनों की कमी और खनन संक्रियाओं, खनिजों का परिवहन, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर बढ़े हुए बोझ के कारण जलधारा प्रवाह में कमी से हो सकते हैं और भू–जल के ह्रास, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकते है।

(ग) न्यास खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा ऐसे प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा।

(II) प्रभावित व्यक्ति :

(क) निम्नलिखित को प्रत्यक्षतः प्रभावित व्यक्तियों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए :–

(i) **'प्रभावित परिवार' जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) के अधीन परिभाषित है।**

(ii) **'विस्थापित परिवार' जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित है।**

(iii) कोई अन्य जो संबंधित ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से परिलक्षित किया गया है।

(ख) खनन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो खनन की जाने वाली भूमि पर विधिक और वृत्तिक अधिकार रखते हैं, और वे भी जो भोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार रखते हों।

(ग) प्रभावित परिवार, जहां तक संभव हो, ग्राम सभा के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से परिलक्षित किये जाने चाहिए।

(घ) न्यास, राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड के उपबंधों के अधीन पात्र मरीजों और उनके विधिक वारिसों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा।

(3) निधि का उपयोग :–

(i) न्यास नीचे दी गयी सूची के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलाप करेगा :–

(क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र– निधि का कम से कम साठ प्रतिशत इन शीर्षों के अधीन उपयोग किया जायेगा :

(क) पेयजल की आपूर्ति – केन्द्रीयकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र, पेयजल के लिए एकल आधार सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए स्थायी/अस्थायी जल संवितरण तंत्र, जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइप बिछाना।

(ख) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय :– बहिः स्राव उपचार संयंत्र क्षेत्र को जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू–जल क्षेत्र में अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रियाओं द्वारा कारित ध्वनि, वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने और कचरा, खान जल–निकास की प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियों के लिए उपाय, और चालू या परित्यक्त खानों के लिए उपाय, और खनन क्षेत्रों का पुनःस्थापन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन, और पर्यावरण के

अनुकूल और खानों के सतत विकास के लिए अपेक्षित अन्य कोई वायु, जल और सतह प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र विन्यास।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल – प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए, किन्तु ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाये जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक कार्मिक, उपकरण और आपूर्ति की व्यवस्था पर भी जोर दिया जाना चाहिए, –

(i) उस विस्तार तक, स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्रीय सरकार की विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ अभिसरण में प्रयास पूरक और कार्य करने के लिए होने चाहिए। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध दक्षता को खनन से संबंधित रोगों और बीमारियों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना तैयार करने में उपयोग किया जा सकेगा।

(ii) खनन संक्रियाओं से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कर्मकारों के कल्याण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार और सुरक्षा के लिए, राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड के उपबन्धों के अधीन पात्र मरीजों/उनके विधिक वारिसों को अनुग्रह राशि के लिए, नियमित स्वास्थ्य जाँच शिविरों, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना कार्यान्वित की जा सकेगी :

परन्तु यह कि उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित परियोजनाएं और क्रियाकलाप अधिमानतः या तो निर्माण प्रचालन और अन्तरण आधार पर या एकल बिन्दु संविदा सेवाओं पर चलायी जायेंगी। इस प्रयोजन के लिए कोई अस्थायी या स्थायी पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(घ) शिक्षा – विद्यालय के भवनों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय खण्डों पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसंरचना, अध्यापक/अन्य सहायक कर्मचारिवृन्दों को लगाना, ई–लर्निंग सैट अप की व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा इत्यादि) और पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था।

(ङ) महिलाओं और बच्चों का कल्याण – मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम इन योजनाओं के अधीन शुरू किये जा सकेंगे।

(च) वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण – वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

(छ) कौशल विकास – स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका सहायता, आय पैदा करने और आर्थिक कियाकलापों के लिए कौशल विकास । परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्व–रोजगार योजनाओं, स्व–सहायता समूहों को समर्थन और ऐसे स्व–रोजगार आर्थिक कियाकलापों के लिए आगे और पीछे के संयोजन की व्यवस्था को सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ज) स्वच्छता– अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और व्ययन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास और मल–प्रवाह उपचार संयंत्र का व्यवस्था, मल कीचड़ के व्ययन के लिए व्यवस्था, शौचालयों और अन्य संबंधित कियाकलापों की व्यवस्था।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र – निधि का चालीस प्रतिशत तक इन शीर्षों के अधीन उपयोग में लिया जायेगा :

(क) भौतिक अवसंरचना – अपेक्षित भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराना – सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएं।

(ख) सिंचाई – सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीकें अपनाना।

(ग) ऊर्जा और वाटरशैड विकास – ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (माइको–हाइडल को सम्मिलित करते हुए) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास, वृक्षारोपण, बाग–बगीचों, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी का विकास तथा जलग्रहण क्षेत्रों का प्रत्यावर्तन।

(घ) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(II) सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त ;

(क) योजनाओं के अधीन न्यास द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक और कल्याणकारी कियाकलाप, यथासंभव, राज्य के साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त–पोषित चालू योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति में होने चाहिए। 'Polluter pays principle' के अधीन किये जाने वाले कियाकलाप न्यास द्वारा किसी भी योजना के अधीन नहीं किये जाने चाहिएं। तथापि, प्रतिष्ठान की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य और जिले की योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त किये जाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे, ताकि प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कियाकलाप विकास और कल्याणकारी कियाकलापों के पूरक बन सकें और राज्य योजना के लिए अतिरिक्त–बजटीय स्रोतों के रूप में माना जायें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी ऊपरी सीमा के अध्यधीन, प्रतिष्ठान की वार्षिक प्राप्तियों की पाँच प्रतिशत से अनधिक रकम प्रतिष्ठान के प्रशासनिक, पर्यवेक्षणीय और उपरिलागत के लिए उपयोग में ली जा सकेगी। यथासंभव, न्यास के अधीन किन्हीं अस्थायी/स्थायी पदों को

सृजित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन और प्रतिष्ठान द्वारा वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि, न्यूनतम अपेक्षित कार्मिक संविदात्मक आधार पर लगाया जा सकेगा।

(ग) यदि किसी एक जिले में किसी खान का प्रभावित क्षेत्र, किसी अन्य जिले की अधिकारिता में भी आता है तो प्रतिष्ठान द्वारा खान से संगृहीत रकम का ऐसा प्रतिशत, अन्य संबंधित जिले के प्रतिष्ठान को, ऐसे क्षेत्रों में कियाकलाप चलाये जाने के लिए अन्तरित कर दिया जायेगा। कोई परियोजना, जो कि प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति के फायदे के लिए है, किन्तु जिसका फैलाव जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर तक है, को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात्, न्यास द्वारा इसे अपने अधीन लिया जाना चाहिए। निधि के उपयोग के लिए प्राथमिकता की सीमा (एक करोड़ और उससे अधिक) के आधिक्य में सड़कों, पुलों, इत्यादि के संनिर्माण जैसी सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनाओं को भी, मामले दर मामले के आधार पर, जिले के लिए महत्ता वाली परियोजनाओं के रूप में लिया जा सकेगा। निधि के उपयोग की सीमाओं के आधिक्य में ऐसे कार्यों को शुरू करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार को सूचना दिये जाने के साथ, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। निम्नलिखित राज्य स्तरीय सशक्त समिति ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के संबंध में विनिश्चय लेगी:—

(क) मुख्य सचिव

(ख) प्रमुख सचिव, खान तथा पेट्रोलियम

(ग) सचिव, वन

(घ) सचिव, सा.नि.वि.

(ड.) सचिव, सामाजिक न्याय और कल्याण

(च) सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(छ) निदेशक, खान एवं भू विज्ञान

(ज) वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू–विज्ञान

(झ) अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), खान एवं भू–विज्ञान

(घ) समिति की बैठक छह मास में एक बार आयोजित की जायेगी। दिन–प्रतिदिन के कार्य के लिए, निम्नलिखित समिति विनिश्चय लेने के लिए सक्षम होगी :–

(क) प्रमुख सचिव, खान तथा पेट्रोलियम

(ख) संयुक्त सचिव, खान

(ग) निदेशक, खान एवं भू विज्ञान

(घ) वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू–विज्ञान

(ङ.) अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), खान एवं भू–विज्ञान

(च) संबंधित लाईन विभाग का प्रतिनिधि।

उपरोक्त समिति के विनिश्चयों का राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उनकी अगली बैठक में अभिपुष्ट किया जायेगा।

(ङ.) वार्षिक प्राप्तियों की उपयुक्त राशि, विन्यास निधि के रूप में अविरत आजीविका प्रदान किए जाने के लिए रखी जानी चाहिए।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध :

अनुसूचित क्षेत्रों में निधि के उपयोग के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रकिया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 244 सपठित अनुसूची 5 और अनुसूची 6 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परामपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित की जायेगी। अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर अवस्थित खनन द्वारा प्रभावित, गाँवों के संबंध में :–

(i) ग्राम सभा का अनुमोदन निम्नलिखित में अपेक्षित होगा,–

(क) प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. के अधीन प्रारंभ की गयी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए।

(ख) सरकार के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के लिए।

(ii) संबंधित ग्राम में न्यास के अधीन जिम्मे लिये गये कार्यों पर रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात्, ग्राम सभा को प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण : ग्राम सभा का वही अर्थ होगा, जो उसे पंचायत (अनुसूचित् क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40) के उपबंधों के कियान्वयन के प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट किया गया है।

(5) कार्यों/संविदाओं का कियान्वयन :

(i) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपापनों के लिए विहित सम्यक् प्रकिया का अनुसरण किये जाने के पश्चात्, न्यास द्वारा कार्य/माल उपाप्त किया जा सकेगा। माल और सेवाओं का उपापन, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा। कार्य का निष्पादन संबंधित कार्यपालक अभिकरणों के लेखा नियमों के उपबंधों या सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विशेष नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) समस्त अभिकरणों और हितधिकारियों को निधियों का अन्तरण किसी इलैक्ट्रोनिक संदाय प्रकिया द्वारा उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

(6) पारदर्शिता का अनुपालन :

प्रत्येक न्यास एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिस पर, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की जायेंगी और अद्यतन रखी जायेंगी, अर्थात् :–

(क) न्यास/न्यास के निकायों (यदि कोई हों) की संरचना के ब्यौरे।

(ख) खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची।

(ग) पट्टेदारों और अन्यों से प्राप्त समस्त अंशदानों के तिमाही ब्यौरे।

(घ) न्यास की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और की गयी कार्रवाई रिपोर्ट (ए टी आर)।

(ङ.) वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट।

(च) चालू संकर्मों की ऑनलाईन प्रास्थिति– न्यास द्वारा अपने जिम्मे ली गयी सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कियान्वयन की प्रास्थिति/प्रगति को, कार्य के विवरण, हिताधिकारियों के ब्यौरे, प्राक्कलित लागत, कार्यान्वयन अभिकरणों के नाम, कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण होने की संभावित तारीख, अन्तिम तिमाही तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति इत्यादि को सम्मिलित करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की सूची।

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

16. प्रस्ताव के निष्पादन के लिए न्यास द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभिकरण .– (1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, सरकार के किसी भी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा और कोई भी विशेष प्रस्ताव/परियोजना ऐसे अभिकरण के माध्यम से चलाये जाने के लिए समनुदेशित कर सकेगा।

(2) न्यास अर्हित अभिकरणों जैसे गैर–सरकारी संगठन, जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, को भी पैनलित कर सकेगा । तथापि, यथासंभव, उसी फील्ड में कार्य कर रहे सरकारी अभिकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

17. व्ययों को प्रभारित करना .– न्यासी निम्नलिखित व्ययों को न्यास निधि से प्रभारित करने के हकदार होंगे, अर्थात् :–

(क) न्यास के संचालन या निष्पादन में और न्यास निधि में समाविष्ट विनिधानों और आस्तियों के आपन, परिरक्षण या फायदे के लिए, और न्यास के हितों की सुरक्षा के लिए सम्यक् रूप से उपगत समस्त व्यय ।

(ख) अंशदानों और या किन्हीं अन्य स्रोतों को अभिप्राप्त करने के लिए न्यासियों द्वारा उपगत समस्त व्यय (किसी करार या अन्य विलेखों के निष्पादन और/या रजिस्ट्रीकरण के आनुषंगिक व्ययों को सम्मिलित करते हुए), जो प्रोद्भूत हों ।

(ग) किसी विधिक सलाहकार की वृतिक फीस और लागत को सम्मिलित करते हुए, न्यास के कार्यों से संबंधित न्यासी द्वारा या उसके विरूद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय।

(घ) न्यास के कार्यों के संबंध में संदत्त/संदेय समस्त उद्ग्रहणों, शुल्कों और अन्य प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, न्यास के संचालन या निष्पादन में उपगत समस्त विधिक और कानूनी व्यय।

(ड़) राज्य सरकार के मानकों के अनुसार इसकी बैठकें आयोजित करने और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय।

18. खाता और संपरीक्षा .– (1) प्रबंध समिति न्यास के कार्यों की सही और ऋजु तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में उचित लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अभिलेखों को संधारित करेगी/संधारित करवायेगी। लेखा पुस्तकें, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जी.एफ.एण्ड ए.आर.)या इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं विशेष नियमों के उपबन्धों अनुसार संधारित की जायेंगी। न्यास के खातों की संपरीक्षा कम से कम वर्ष के पूर्ण होने पर अर्हताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा करायी जायेगी। न्यास के लेखापरीक्षकों को न्यासियों द्वारा, शासी परिषद् की बैठक में, न्यासियों द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर, राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित लेखापरीक्षकों की सूची में से नियुक्त किया जायेगा। लेखापरीक्षकों को राजस्थान के महालेखाकार के परामर्श से न्यासियों द्वारा हटाया और प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगी या महालेखाकार को ऐसी शर्तों पर जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि को ऑडिट करने के लिए अनुरोध कर सकेगी।

(3) न्यास अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं के साथ अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना, जिला परिषद्, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) न्यास तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में भौतिक और वित्तीय निबंधनों में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार

करेगा और इसके तुरंत पश्चात् इसे जिला परिषद् और जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) न्यास अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर शासी परिषद् द्वारा इनके अनुमोदन के तुरंत पश्चात्, जिला परिषद्, जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(6) प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

19. प्रशासनिक व्यवस्था .– (1) सरकार संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के कार्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवाएं, न्यास के प्रबंध के लिए और वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के लिए, जैसा भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगी।

(2) न्यास, सरकार से उसके अपने विभागों से अपेक्षित संख्या में कोर कार्मिकों या ऐसे ही अन्य काडर के नियमित कर्मचारियों से, न्यास को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसे कार्मिकों की सेवाएं उनके अपने संबंधित काडर में लगातार बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन के लिए उसकी प्रोद्भूत निधियों का तीन प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।

(3) न्यास सेवा प्रदाताओं से न्यास के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्पर्क कर सकेगा जो आवश्यक हों और इसके कृत्यकरण के लिए आकस्मिक व्यय उपगत करने की व्यवस्था कर सकेगा।

20. न्यासियों के दायित्व .– (1) न्यासी, सम्यक् तत्परता से सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए दायी नहीं होंगे। न्यासी, किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति के प्रति भी दायी या उत्तदायी नहीं होंगे, जिसके हाथों में, ना तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों के मूल्य में कमी या अपर्याप्तता के लिए और ना ही अन्यथा किसी अस्वैच्छिक हानि के लिए सद्भावपूर्वक इसे निक्षिप्त या रखा जाये।

(2) न्यासी और प्रत्येक एटॉर्नी या, न्यासियों द्वारा नियुक्त किया गया अभिकर्ता न्यास या किन्ही शक्तियों, प्राधिकारों, और घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये गये दुराचार से उत्पन्न से भिन्न उनमें निहित या उन्हें प्रत्यायोजित विवेकाधिकार के कार्यान्वयन में समस्त दायित्वों, हानियों और उपगत व्ययों के संबंध में न्यास निधि में से क्षतिपूर्ति प्राप्त

करने के हकदार होंगें परन्तु ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में, अंशदानों के योग से अधिक नहीं होगी।

21. पारिश्रमिक .– न्यासी अपनी सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगें।

[सं. एफ.14(6) खान/ग्रेड II/2015]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0

(कन्हैया लाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव"